कश्मीर समस्या ओर उसका समाधान

श्री पकंज गर्ग
वैज्ञानिक बी
प्रथम पुरस्कार

कश्मीर भारत का शीर्ष - मुकुट कहलाता है। इसका प्रकृति वैभव अद्वितम है। प्रकृति ने एकान्त में बैठकर इसके स्वरूप को सँवारा है, सजाया है और इसके रूप को नया आयाम देने के लिये विभिन्न परिकल्पनाओं को साकार किया है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी सुन्दरता का एक छत्र साम्राज्य है, विदेशी पर्यटक भी इसकी एक झलक पाने के लिये उत्सुक हैं। केसर की महकती क्यारियां ऊंचे वृक्ष , फूलों की लम्बी कतारे एवं बर्फ से ढकी पर्वत मालाये, इसके रूप को शोभायमान करती हैं। डल झील इसके रूप में चार चाँद लगाती है।

परन्तु आज का कश्मीर, आतंकवाद की आग में जल रहा है। बम के धमाकों की गूंज, गोलियों की आवाज, अपहरण, मन्दिर मस्जिदों का जलाया जाना व प्रकृति की अनमोल उपलब्धि मानव का वध, वहां एक खेल बन गया है। आज के कश्मीर का वह रूप कुछ फीका हो गया है जैसा कि पहले कहा गया था कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यहीं है। कश्मीर की समस्या को समझने से पहले हमें वहां की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि की ओर नजर डालनी होगी।

१५ अगस्त, १९४७ को भारत आजाद हुआ था। हिन्दुस्तान एवं पाकिस्तान नाम के रूप में दो देशों में विभाजन हो गया था। २४ अक्टूबर १९४७ को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था। उस समय कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने सहायता की अपील भारत सरकार से की।

भारत सरकार ने संकट की घड़ी में महाराज हरिसिंह की सहायता की। कश्मीर को भारत में विलय की बात स्वीकार की गयी। वह यह तय किया गया कि विलय की शर्तें कश्मीर की विधान सभा तय करेगी। कश्मीर को भारत में विलय की शर्तें के अन्तर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तथा धारा ३७० के अन्तर्गत धारा ३५६ में विशेष राज्य का प्रावधान रखा गया। १९६४ में सदर ए रिमाजत के पद को बदलकर राज्यपाल व प्रधानमंत्री के पद के स्थान पर मुख्य मंत्री का पद प्रदान किया गया। साथ ही रक्षा संचार एवं विदेश मामलों को भारत सरकार ने अपने हाथ में रखा, बाकी सब कुछ कश्मीर राज्य की विधान सभा के ऊपर छोड़ दिया।

राज्य को दिया गया विशेष दर्जा ही मूल समस्या का केन्द्र बिन्दु बन गया। राज्य के संविधान के अनुसार भारत सरकार ने दो निशान, दो प्रधान व दो विधान का प्रावधान इस राज्य को दिया।

संविधान की धारा ३५६ के अन्तर्गत कश्मीर में निम्न समस्या सामने आयी।

१. कोई भी भारतीय नागरिक कश्मीर का नागरिक नही हो सकता।
२. कश्मीर के नागरिक को दो नागरिकता प्रदान हो गयी एक तो भारत की एवं दूसरी जम्मू कश्मीर की।
३. कोई भारतीय नागरिक कश्मीर में चल अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता चाहे वह वहां चालीस या पचास वर्षों से रह रहा हो।

४. कोई भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला वह वहां का नागरिक नही हो तो किसी भी चुनाव में, नगर निकायों में एवं अन्य सहकारिता के क्षेत्र में न खड़ा हो सकता न ही भाग ले सकता ।
५. यदि कोई मुस्लिम महिला ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो वहां का नागरिक न हो तो अपने पिता की चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दी जाती है ।
६. सरकारी भवनों पर भारत के झण्डे के अतिरिक्त एक अन्य कश्मीर का झण्डा भी लगाया जाता है । साथ ही राष्ट्रीय निशान के साथ कश्मीर का अपना चिन्ह भी प्रेषित किया जाता है ।
७. इस द्विराष्ट्र चिन्ह पद्धति ने अन्य राज्य के सापेक्ष अलगावाद की स्थिति उत्पन्न कर दी ।

पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या -

१९४७ में बटवारे के समय पाकिस्तान ने समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा भारत में हिन्दु मुस्लिम दगों, मन्दिर - मस्जिदों में गोला बारूद जमा करना, महिलाओं का अपमान व अपहरण, पुलिस एवं राज्य के कर्मियों का मनोबल तोड़ना, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार को नीचा दिखाने जैसी राष्ट्रद्रोही हरकतो के कारण अलगाववाद की आग में धकेल दिया । राष्ट्र को अपार क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की शीर्ष गुप्तचर संस्था आई एस आई ने भाड़े के सैनिकों को आतंकवादी के रूप में घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा व मानव जीवन मात्र एक कुठपुतली बनकर रह गया ।

गाँधीवादी राष्ट्र भारत ने जब कभी भी संकट की घड़ी का सामना किया तो शान्ति व अंहिसा का मार्ग खोला । पाकिस्तान ने १९६५, १९७१ व १९९९ में भारत की भूमि पर आक्रमण किये और मुंह की खाई । आक्रमण या सेना किसी भी समस्या का हल नहीं होता । अनेको बार भारत ने समझोतों का प्रयास किया । परन्तु जब भारत की सीमा पर गोलाबारी का रूख कम नहीं हुआ फिर भारत ने भी रक्षा के जबाव में पाकिस्तानी सैनिको को उनकी ही धरती पर पीछे धकेल दिया । रूस ने सन १९६६ में ताशकन्द समझोता कराने का प्रयास किया । पाकिस्तान ने राष्ट्रपति अयूब खाँ और भारत के प्रधान मंत्री शस्त्री जी के बीच दोनो राष्ट्रो के हित में समझोते पर हस्ताक्षर किये कि जीता हुआ भाग भारत ने वापस कर दिया दोनो देश एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में नहीं बोलेगे । अर्थव्यवस्था व आपसी सहयोग के क्षेत्र में काम करेंगे । परन्तु पाकिस्तान का मन तो युद्ध करना था।

१९७१ की लड़ाई में एक बार फिर पाकिस्तान ने मुंह की खाई । इसके लिये १९७२ में जुलाई में शिमला समझौता हुआ । जिसके अन्तर्गत विभिन्न् पहलूओं पर विचार किया गया । परन्तु लाहौर समझोतों के अन्तर्गत बहुत सी बातों पर विचार किया गया युद्धबन्दियों की वापसी व अन्य मुद्दों पर हस्ताक्षर किये ।

सन १९९९ में पाकिस्तान ने फिर भारत की तपोभूमि पर भाड़े के आतंकवादी भेजकर युद्ध घोषित कर दिया । बर्फ से ढकी चोटियों पर हमारे जवानो ने दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये ।

समाधान-

कश्मीर समस्या का समाधान ईट का जबाव पत्थर से देने पर ही हो सकेगा । आज हमारे नीति विशेषज्ञ को इस बात पर सोचना होगा कि इस विशाल समस्या से कैसे निपटा जाये । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पड़ोसी देश, चीन बंग्लादेश, बर्मा, नेपाल, भूटान भी है । परन्तु भारत की बड़ी सीमा

पाकिस्तान के भूभाग से मिलती है। कश्मीर की समस्या हम वहां पर चुनाव कराके नई सरकार बना कर नहीं कर सकते। आज कश्मीर की पुलिस व वहां का प्रशासन इस समस्या से निजात पाने में सक्षम नहीं है। आज हमें इस समस्या का स्थायी हल केवल सेना को लगाकर ही किया जा सकता है। आज हमें सेना क्ष क्षेत्राधिकार बढाना होगा अपनी सेना को नये अस्त्रों से सुसज्जित करना होगा ।भारत सरकार को अनेकों महत्वपूर्ण फैसले करने होंगे।

आज कश्मीर के अनेकों निर्दोष लोगों के प्राणों को महज एक खिलोना मानकर खेला जा रहा है। आज हिन्दु - मुस्लिम दंगों को भड़काने व तीर्थ यात्रियों पर हमला करने, हिन्दुओं को जान से मार दिया जाता है। यदि आज किसी इसाई या मुस्लिम लोगों को मारा जाता है तो उसकी गूंज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यू एन ओ व अमेरिका द्वारा बयान जारी किये जाते है। विदेशियों का अपहरण करने पर सारा संसार एक तरफ हो जाता है, जबकि हिन्दुओं पर अत्याचार होते है तो मानव अधिकार मूक दर्शक बन जाता है। हमारी सरकार मात्र पाकिस्तान की कार्यवाही समझ कर आँखे मूँद लेती है। इस प्रकार इस समस्या का यदि समाधान न किया गया तो भारत माता को १९४७ की भांति हमारे राष्ट्र के एक और टुकड़े के रूप में इसे देखना होगा। उस समय हमारे नीति निर्धारकों को मुंह की खानी पड़ेगी जो इस विकराल समस्या को एक छोटे रूप में देखते हैं।

***